

रिमोट ई-वोटिंग, 51वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग लेने और एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए अनुदेश

क. 51वीं एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के लिए अनुदेश

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 22 सितंबर, 2020, मंगलवार (11.00 बजे) से शुरू होकर 24 सितंबर, 2020, गुरुवार (17.00 बजे) तक होगी। बाद में वोटिंग के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

1. एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के लिए, दो चरण की प्रक्रिया अपनाए जाने की जरूरत है, जो इस प्रकार है:

चरण-1

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें:
<https://www.evoting.nsdl.com>
2. जब ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज शुरू हो जाए तो "लॉग-इन" आइकन पर क्लिक करें जो "शेयरधारक" खंड में उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और एक सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा, जैसाकि स्क्रीन पर दर्शाया गया है।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सर्विसेज अर्थात् आईडीईएस के लिए पंजीकृत हैं तो आप अपने विद्यमान आईडीईएस लॉग-इन के साथ <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉग-इन कर सकते हैं। जब आप अपने लॉग-इन प्रमाणों का प्रयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-सर्विसेज में लॉग-इन कर लेते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण-2 में जा सकते हैं अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना मत दें।

चरण-2

1. चरण-1 पर सफलतापूर्वक लॉग-इन के बाद, आप ई-वोटिंग का होम पेज देख पाएंगे। ई-वोटिंग पर क्लिक करें। फिर, सक्रिय मतदान चक्रों पर क्लिक करें।

2. आप सभी कंपनियों के "ईवीईएन" देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र सक्रिय स्तर में है।
3. उस कंपनी के "ईवीईएन" का चयन करें जिनके लिए आप अपना मत देना चाहते हैं।
4. अब आप मतदान पृष्ठ खुलने पर ई-वोटिंग करने के लिए तैयार हैं।
5. उपयुक्त विकल्प अर्थात एसेंट अथवा डिसेंट का चयन कर अपना मतदान करें, शेयरों की संख्या सत्यापित करें/संशोधित करें जिसके लिए आप अपना मतदान करना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें तथा संकेत मिलने पर "कन्फर्म" भी करें।
6. पुष्टि होने पर, "सफलतापूर्वक मतदान" का संदेश दिखाई देगा।
7. आप संपुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक कर आपके द्वारा दिए गए मतों का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
8. जब आप संकल्प पर अपने मत की पुष्टि कर दें, तो आपको अपने मत में संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

एनएसडीएल ई-वोटिंग पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का ब्यौरा

यूजर आईडी और पासवर्ड नीचे दिए गए हैं:

शेयर धारण करने का ढंग, अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीएसडीएल) अथवा वास्तविक	यूजर आईडी
क) ऐसे सदस्यों के लिए, जिनके पास एनएसडीएल में डीमैट खाता है	8 अक्षरों की डीपी आईडी उसके बाद 8 अंकों के ब्यौरा की ग्राहक आईडी उदाहरण के लिए यदि आपके डीपी आईडी आईएन300*** है और ग्राहक आईडी 12***** है तो फिर आपका यूजर आईडी आईएन300***12***** है।
ख) ऐसे सदस्यों के लिए, जिनके पास सीडीएसएल में डीमैट खाता है	16 अंकों का लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपका लाभार्थी आईडी 12***** है तो फिर आपका यूजर आईडी 12***** है।
ग) ऐसे सदस्यों के लिए, जिनके पास वास्तविक रूप में शेयर हैं	ईवीईएन नंबर के बाद कंपनी में पंजीकृत फोलियो नंबर

	उदाहरण के लिए यदि फोलियो नं. 001*** है और ईवीईएन 101456 है तो फिर यूजर आईडी 101456001*** है।
--	--

आपके पासवर्ड के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क. यदि आप पहले से ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो फिर आप लॉग-इन करने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं और अपना मत दे सकते हैं।

ख. यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको "आरंभिक पासवर्ड" लेने की आवश्यकता होगी जो आपको बताया गया था। जब आप अपना "आरंभिक पासवर्ड" ले लेते हैं तो आपको "आरंभिक पासवर्ड" प्रविष्ट करने की आवश्यकता होती है और सिस्टम आपको आपका पासवर्ड बदलने के लिए विवश करेगा।

ग. "आरंभिक पासवर्ड" कैसे लेना है:

(i) यदि आपका ई-मेल आईडी आपके डीमैट खाते अथवा कंपनी में पंजीकृत है, तो आपका "आरंभिक पासवर्ड" आपको आपकी ई-मेल आईडी पर सूचित किया जाता है। एनएसडीएल से आपको भेजे गए ई-मेल को अपने मेल बॉक्स में खोजें। ई-मेल खोलें और संलग्न "पीडीएफ" फाइल खोलें। "पीडीएफ" फाइल खोलने के लिए एनएसडीएल खाते के लिए पासवर्ड आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी है, सीडीएसएल खाते के लिए ग्राहक आईडी अंतिम 8 अंक अथवा भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलियो नं. है। "पीडीएफ" फाइल में आपका "यूजर आईडी" तथा "आरंभिक पासवर्ड" है।

(ii) यदि आपका ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया नोटिस की टिप्पणी संख्या 6 में दिए गए चरणों का अनुसरण करें।

II. यदि आप अपना "आरंभिक पासवर्ड" लेने में अक्षम हैं अथवा प्राप्त नहीं हुआ है अथवा अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

क. यदि आपके एनएसडीएल अथवा सीएसडीएल में आपके डीमैट खाते में शेयर हैं, तो www.evoting.nsdl.com पर "यूजर ब्यौरा/पासवर्ड भूल गए" विकल्प पर क्लिक करें।

ख. यदि आपके शेयर भौतिक स्वरूप में हैं, तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "फिजिकल यूजर रीसैट पासवर्ड" पर क्लिक करें।

ग. यदि आप उपर्युक्त दो विकल्पों से भी पासवर्ड लेने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो नं., पैन, नाम और पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

घ. सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर मतदान करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉग-इन का भी प्रयोग कर सकते हैं।

- III. अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "निबंधन एवं शर्तों" से सहमत हूँ, पर निशान लगाएं।
- IV. अब, आपको "लॉग-इन" बटन पर क्लिक करना होगा।
- V. "लॉग-इन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा।

यदि कोई प्रश्न हो तो आप शेयरधारकों के लिए बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को देख सकते हैं और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है अथवा टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल करें अथवा evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध करें अथवा श्री अमित विशाल, वरिष्ठ प्रबंधक अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि., ट्रेड वर्ल्ड, "ए" विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोवर परेल, मुंबई-400 013 को ई-मेल आईडी: evoting@nsdl.co.in अथवा amitv@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in पर भेजें अथवा दूरभाष संख्या +91-22 2499 4360 अथवा +91-99202 64780 अथवा +91-22-2499 4545 पर संपर्क करें, जो इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। सदस्य कंपनी सचिव को कंपनी के ई-मेल पते complianceofficer@recl.in पर भी लिख सकते हैं।

ख. 51वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश:

1. सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य उसे रिमोट ई-वोटिंग प्रमाणों का उपयोग करके शेयरधारकों/सदस्यों के लॉग इन के तहत <http://www.evoting.nsdl.com> पर प्राप्त कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारकों/सदस्यों के लॉग इन पर उपलब्ध होगा, जहां पर कि कंपनी का

ईवीईएन दिखाई देगा। कृपया यह नोट करें कि ऐसे सदस्य, जिनके पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं अथवा यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे उसे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग अनुदेशों का अनुसरण करके पुनः प्राप्त कर सकते हैं ताकि अंतिम समय पर व्यस्तता से बचा जा सके। इसके अलावा, सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली में लॉग इन करने के लिए ओटीपी आधारित लॉग इन का भी उपयोग कर सकते हैं।

2. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
3. सदस्यों को कैमरे की भी अनुमति होगी और बैठक के दौरान किसी भी रुकावट से बचने के लिए अच्छी स्पीड का इंटरनेट उपयोग करने की अनुमति होगी।
4. कृपया नोट करें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के जरिए मोबाइल उपकरणों अथवा टेबलेट अथवा लैपटॉप से कनेक्ट करने वाले प्रतिभागी को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। अतः सिफारिश की जाती है कि उपरोक्त किसी भी प्रकार की रुकावट में कमी करने के लिए स्थिर वाईफाई अथवा एलएएन कनेक्शन का उपयोग करें।
5. ऐसे शेयरधारक, जो बैठक के दौरान अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे "स्पीकर" के रूप में स्वयं को पंजीकृत करें और अपना नाम, डीमैट खाता नं./फोलियो नं., ई-मेल पता, मोबाइल नं. का उल्लेख करते हुए बैठक से कम से कम 48 घंटे पहले complianceofficer@recl.in पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं। ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने स्वयं को एक स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हें ही बैठक के दौरान अपने विचार प्रकट करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

ग. 51वीं एजीएम के दौरान इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश

1. एक बार नोटिस की सभी मर्दों पर बैठक में चर्चा पूरी हो जाने पर, प्रत्येक संकल्प को एजीएम के दौरान इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान के लिए रखा जाएगा। कारपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे संवीक्षक को ई-मेल scrutinizer.recl@gmail.com पर बोर्ड के संकल्प/प्राधिकारी पत्र की एक प्रमाणित प्रति भेजें और उसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर भी भेजें।
2. एजीएम के दिन ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग हेतु उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार ही होगी।

3. केवल ऐसे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए संकल्पों पर अपने मत नहीं दिए हैं और जो ऐसा करने के लिए अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं, वे एजीएम के दौरान इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान के लिए पात्र होंगे।
4. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए मत दिया है, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। तथापि, वे एजीएम के दौरान मतदान देने के लिए पात्र नहीं होंगे।
5. ऐसे व्यक्तियों के ब्यौरे, जिनसे एजीएम के दिन ई-वोटिंग के लिए सुविधा से जुड़ी किसी शिकायत के लिए सम्पर्क कर सकते हैं, वह वही व्यक्ति होगा, जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित किया गया है।

